इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 301] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 23 जुलाई 2015—श्रावण 1, शक 1937

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2015

क्र. डी-15-9-2015-चौदह-3.—चूंकि, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24, सन् 1973) की धारा 70 की उपधारा (1) के खण्ड (एक) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-9-2015-चौदह-3, दिनांक 11 मई, 2015 द्वारा जबलपुर जिले की बहोरीबन्द एवं ढीमरखेड़ा तहसील के विकासखण्ड बाकल, बहोरीबन्द, स्लीमनाबाद, ढीमरखेड़ा, उमरियापान में स्थित समस्त वन एवं राजस्व ग्रामों में समाविष्ट क्षेत्र (जो इसमें इसके पश्चात् "उक्त क्षेत्र" के नाम से निर्दिष्ट है), को अपवर्जित कर मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने के अपने आशय को संज्ञापित किया था.

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 71 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा "उक्त मंडी क्षेत्र" में उक्त क्षेत्र को अपवर्जित करके मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2015

क्र. डी-15-9-2015-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23 जुलाई 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 23rd July 2015

No. D-15-9-2015-XIV-3.—WHEREAS, by this Department Notification No. D-15-9-2015-XIV-3 dated 11th May 2015 issued under the provisions of clause (i) of sub-section (1) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government have proposed to alter the limits of the "said market area" by excluding here with the area comprising of Tehsil Bahoriband and Dhimarkheda of Development Block Baakal, Bahoriband, Slimnabad, Dhimarkheda and Umariyapan in Jabalpur District. (here in after refered to as the "said area").

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 71 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by alter the limit of the said market area by Excluding there from the "said area".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.

क्र. डी-15-9-2015-चौदह-3.—चूंकि, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 70 की उपधारा (1) के खण्ड (एक)के उपबन्धों के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-9-2015-चौदह-3, दिनांक 11 मई, 2015 द्वारा मुड़वारा (कटनी) जिले की बहोरीबन्द एवं ढीमरखेड़ा तहसील के विकासखण्ड बाकल, बहोरीबन्द, स्लीमनाबाद, ढीमरखेड़ा, उमरियापान में स्थित समस्त वन एवं राजस्व ग्रामों में समाविष्ट क्षेत्र (जो इसमें इसके पश्चात् "उक्त क्षेत्र" के नाम से निर्दिष्ट है), को सम्मिलित कर मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करना संज्ञापित किया था.

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 71 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा "उक्त मंडी क्षेत्र" में उक्त क्षेत्र को सम्मिलित करके मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2015

क्र. डी-15-9-2015-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23 जुलाई 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 23rd July 2015

No. D-15-9-2015-XIV-3.—WHEREAS by this Department Notification No. D-15-9-2015-XIV-3 dated 11th May 2015 issued under the provisions of clause (i) of sub-section (1) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government have proposed to alter the limits of the "said market area" by Including here with the area comprising of Tehsil Bahoriband and Dhimarkheda of Development Block Baakal, Bahoriband, Slimnabad, Dhimarkheda and Umariyapan in Mudwara (Katni) District. (here in after referred to as the "said area").

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (ai) of sub-section (2) of Section 71 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by alter the limit of the said market area by Including there from the "said area".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.